रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26, 2014/फाल्गुन 7, 1935
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2014

फा.सं. 37–3/विधिक/अभातशिप/2014.— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा (8) की उपधारा (1) एवं (2) के साथ पठित धारा 23 की उप–धारा (1) तथा (2) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} विनियम, 2013" को संशोधित करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित विनियम बनाती है :

ये विनियम "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} विनियम, 2013" (प्रथम संशोधन) कहलाएंगे तथा ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू माने जाएंगे।

"अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् {राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम)} विनियम, 2013" की धारा 3 में दिये प्रावधान **राष्ट्रीय रोजगार क्षमता वृद्धि मिशन (एनईईएम) एजेंट की पात्रता** को संशोधित करते हुए इसका प्रतिस्थापन निम्नलिखित प्रावधान द्वारा किया जाता है :

3.2 एनईईएम एजेंट कम से कम पांच वर्ष से प्रशिक्षण देने में कार्यरत होना चाहिए अथवा एनईईएम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल कंपनी के अधीन धारा 25 के अंतर्गत बनाई गई कंपनी कम से कम पांच वर्षों से प्रशिक्षण देने में कार्यरत होनी चाहिए।

3.6 एनईईएम के उद्देश्यों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु एनईईएम एजेंट के पास प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 विद्यार्थियों को पंजीकृत कंपनियों अथवा पंजीकृत उद्योगों में रखने की क्षमता होनी चाहिए अथवा एनईईएम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धारा 25 के अंतर्गत बनाई गई कंपनी के पास एनईईएम के उद्देश्यों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष कम से कम 10,000 विद्यार्थियों को पंजीकृत कंपनियों अथवा पंजीकृत उद्योगों में रखने की क्षमता होनी चाहिए।

डॉ० के. पी. आइजैक, सदस्य–सचिव
[विज्ञापन III/4/असाधारण/162/13]

All INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2014

F. No. 37-3/Legal/AICTE/2014. — In exercise of powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 23 read with Section sub-section (1) & (2) of Section 8 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby frames following Regulations amending the "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulations, 2013".

These Regulations may be called the "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulations, 2013" (1st Amendment) and will deem to have come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

The provisions contained in Article 3 of "All India Council for Technical Education (National Employability Enhancement Mission (NEEM) Regulations. 2013" ELIGIBILITY OF A NEEM AGENT shall stand amended and be substituted by the following provision:

3.2 NEEM Agent shall be in the business of training for at least five years or the parent company under which a section 25 company is formed to meet the objective of NEEM shall be in the business of training for at least five years.

3.6 The NEEM agent shall have the capacity to place at least 10,000 students per year in registered companies or registered industries for the purpose of providing training under the objectives of NEEM or a section 25 company is formed to meet the objective of NEEM shall have the capacity to place at least 10,000 students per year in registered companies or registered industries for the purpose of providing training under the objectives of NEEM.

Dr. K. P. ISAAC, Member. Secy.

[ADVT.III/4/Exty./162/13]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054